कृषि वित्त निगम मर्यादित

ग्रामीण समृद्धि को समर्पित एक तकनीकी सहायता संस्थान

(भारत की अग्रणी परामर्शक संस्था)

द्वारा

पंचायती राज सशक्तीकरण की दिशा में पहल

पृष्ठभूमि

कृषि वित्त निगम मर्यादित (ए.एफ.सी.) की स्थापना 1968 में इन्डियन बैंकिंग इण्डस्ट्री द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अपनी स्थापना से लेकर आज तक परामर्शी सेवाओं में अग्रणी रहते हुए ए.एफ.सी. मुख्यतः कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सिंचाई, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, पंचायती राज, क्षमता विकास एवं माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा अपनी परामर्शी सेवायें बहुविषयक (multi-disciplinary) परामर्शीक एवं तकनीकी सहायता संस्थान परियोजना के विविध आयामों पर देती आ रही है। विगत वर्षो से ए.एफ.सी. अपनी सेवायें, अपने सदस्य बैंकों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, फूड फॉर एग्रीकल्चर ऑरगनाइजेशन एवं यूरोपियन संघ जैसी संस्थाओं को देती आ रही है।

भारत सरकार की डीम्ड कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत निगम का व्यापार और कार्यकलापों का ऑडिट लगातार कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) द्वारा किया जाता रहा है। लेखांकन में पारदर्शिता और प्रकटीकरण की प्रणाली ने निगम के व्यापार एवं कार्यकलापों को ठोस बुनियाद और विश्वसनीयता प्रदान की है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अनुसार गठित ऑडिट कमिटी निगम की वित्तीय रिपोर्ट, लेखांकन, एवं अन्य नियामक विषयों के साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया पर निगरानी रखती है।

हमारे प्रमुख मूल्य

- ग्राहकों की संतुष्टि
- उत्कृष्टता के प्रति समर्पण
- सृजनशीलता
- ज्ञान सृजन एवं आदान प्रदान
- सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना
- अग्रणी भूमिका का निर्वाह

हमारी शक्तियाँ

- अनुभवी निदेशक मंडल एवं विस्तृत अनुभव
- जवाबदेही एवं समर्पित कर्मचारी एवं समूह कार्य की भावना
- संस्था की विश्वसनीयता और ख्याति
- ग्राहकों के बीच अच्छी पहुँच और स्वीकार्यता

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में कृषि वित्त निगम मर्यादित की पहल

भारतीय संविधान का 73 वां संशोधन कानून देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह कानून पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में एक सशक्त भूमिका प्रदान करता है, जिससे वे समाज में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकें। संविधान की इस अवधारणा को साकार करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे है। इस दिशा में कृषि वित्त निगम मर्यादित का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुगठित, सुदृढ़ और कार्य सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक है जिससे आम जन, विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के हित में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। पंचायती राज की सफलता बहुत कुछ चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता और जनता के हित में काम करने की इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी। हमारे ज्यादातर पंचायत प्रतिनिधियों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्तर बहुत ऊँचा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के सम्पूर्ण स्वरूप से उन्हें परिचित कराना, साथ ही उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें सजग और सचेष्ट कराना भी हम सबका दायित्व है। इस दिशा में कृषि वित्त निगम मर्यादित द्वारा निम्न पहल किये जा रहे है।

परियोजना की झलक

पंचायती राज में प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलनः- झारखंण्ड

भारत सरकार, यूएनडीपी- सीडीएलजी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायतीराज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन (टी.एन.ए) का सफलता पूर्वक संचालन एवं संदर्भ सामग्री का निर्माण।

- ★ पंचायती राज अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 10 प्रशिक्षण मार्गदर्शक पुस्तकों का निर्माण
- ★ मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक
- ★ जनपद, खण्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु मार्गदर्शक पुस्तक
- ★ अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार (पेसा)
- ★ पंचायत में वित्त प्रबंधन
- ★ पंचायतों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं स्थानीय नियोजन

पंचायती राज में प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलनः- उत्तर प्रदेश

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना- भारत सरकार स्थानीय स्वशासन परियोजना हेतु क्षमता वृद्विहेतु प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन का सफलता पूर्वक संचालन एवं मार्गदर्शिका का निर्माण हेतु सुझाव ।

- ★ पंचायती राज अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मॉड्यूल
- ★ राज्य स्तरीय प्रशिक्षक -प्रशिक्षण (टीओटी)
- ★ ग्रामपंचायत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
- ★ क्षेत्र पंचायत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल
- ★ जिला पंचायत अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल
- ★ राज्य सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता वृद्विकार्यक्रम के सफलता पूर्वक संचालन हेतु सुझाव

पंचायती राज प्रतिनिधियों के क्षमता वृद्विकार्यक्रम का संचालन

कृषि वित्त निगम मर्यादित द्वारा उत्तर प्रदेश एवं झारखण्ड में पंचायत प्रतिनिधियो की क्षमता वृद्वि हेतु कार्यक्रम का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आवासीय एवं गैर अवासीय रुप में आयोजित किए जा रहे है।

संदर्श योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) 2007-12 का निर्माण

- ★ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 25 जनपद में तकनीकी संस्था (टी एस आई) के रूप में कार्य करते हुए पर्सपेक्टिव प्लान 2007-12 के निर्माण में सहयोग प्रदान करना।
- ★ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के अन्तर्गत संदर्श योजना तथा प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर जनपद और खण्ड स्तरीय कार्यशालाओं का सफलता पूर्वक आयोजन ।

संदर्श योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) 2012-17 का निर्माण

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और झारखण्ड हेतु संदर्श योजनाओं के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता संस्था की नियुक्ति एवं कार्य का संचालन

प्रकाशन (Publication)

- उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति के सदस्यों की भूमिका पर मार्गदर्शक पुस्तक का निर्माण एवं प्रदेश मे जिला नियोजन समिति की भूमिका तथा उसके सशक्तिकरण की दिशा में कार्यो का संचालन
- उत्तर प्रदेश एवं झारखड में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत एवं ग्रामसभा स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निमार्ण

सतह से उठते स्वर (Documentary Film)

- उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत - संदर्श योजना निर्माण के दौरान हुए अनुभवों पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में कृषि वित्त निगम मर्यादित की समर्पित सेवाएँ

- प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन
- प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं संदर्भ सामग्री का निर्माण
- पंचायती राज अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमतावर्धन
- पंचायती राज संस्थाओं का वित्त प्रबंधन ई-गवर्नेंस/ई-पंचायत पर क्षमतावर्धन
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/मनरेगा के मद्देनजर जिला संदर्श नियोजन (Perspective Planning)
- पेसा का प्रभावकारी कियान्वयन
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)
- प्रकिया मानचित्रण (Activity Mapping)
- कार्यकलापों के प्रभाव का आंकलन (Impact Assessment of Initiatives)

आवश्यक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

प्रधान कार्यालय :

कृषि वित्त निगम मर्यादित

धनराज महल, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुम्बई : 400001

दूरभाष : 91-22-22028924, फैक्स : 91-22-22028966

Email : afcl@vsnl.com, bdd@afcindia.org.in | Web: www.afcindia.org.in

शाखा कार्यालय :

कृषि वित्त निगम मर्यादित

21, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 91-522-2237474, 91-522-2237559, फैक्स : 91-522-2237469

Email: afcllko@gmail.co.in | afclucknow@afcindia.org.in